तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुनील पंवार बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 134 / 2023 (ऑन लाईन नं.353144249596755)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.23	अपीलार्थी सुनील पंवार, निवासी प्लॉट नं. 47, सेक्शन 7, एक्सटेंशन उनपीएच रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.04.23 में उसके द्वारा (1) पीपा क्षत्रिय समरत न्याति सभा ट्रस्ट जोधपुर मसूरिया के आयोजकों के द्वारा साधारण सभा की बैठक दिनांक 31.01.2021 को रखी गई साधारण सभा आयोजित करने के लिए आयोजन के संबंध में कार्यक्रम की बैठक व्यवस्था प्लान के साथ जिला कलक्टर जोधपुर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर/पुलिस आयुक्त जोधपुर की साधारण सभा आयोजकों के द्वारा संबंधित को सूचित किया गया तो कृपया उसकी प्रतिलिपि, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रथम शहर,कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 880 दिनांक 27.07.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि कार्यालय के पत्रांक 497 दिनांक 24.04.23 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि जिला कलक्टर जोधपुर की मेल आईडी पर संबंधित आयोजकों द्वारा किस दिनांक एवं कौनसी मेल आईडी से सूचित किया गया है के संबंध में उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके अभाव में अप्रार्थी को सूचना उपलब्ध करया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जाने के पश्चात् भी कोई पुनः प्रत्युत्तर नहीं दिय गया अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	